न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 75/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बारां
दायरा दिनांक: 14.08.2020
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामगोपाल पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू, जिला बारां

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार अटरू, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 16.08.2024

अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 260/2015 बउनवान रामगोपाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 87/15 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम ढोटी की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 खैल मैदान सम्वत् 2072 में खसरा संख्या 1986/304 रकबा 0.82, 304 की रकबा 2.00 किता 2 की रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि पर फसल उढद की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 1410/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश कर नायब तहसीलदार, अटरू का निर्णय दिनांक 18.09.2015 निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 87/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 को यथावत रखते हुए अपील सारहीन होने से खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलांट का मौके पर अतिक्रमित आराजी पर कब्जा है या नहीं है तथा सजायाब कर दिया है, जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरित होने से उक्त निर्णय

काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 07.03.2019 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू का निर्णय दिनांक 18.09.2015 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट का अतिक्रमित उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलांट का मौके पर अतिक्रमित आराजी पर कब्जा है या नहीं है तथा सजायाब कर दिया है, जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरित होने से उक्त निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार नै अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम ढोटी की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 खैल मैदान सम्वत् 2072 में खसरा संख्या 1986/304 रकबा 0.82, 304 की रकबा 2.00 किता 2 की रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि पर फसल उढद की बोई जाकर अतिक्रमण किया पाये जाने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 1410/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया है, जो न्यायोचित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां ने भी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 87/15 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम ढोटी की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 खैल मैदान सम्वत् 2072 में खसरा संख्या 1986/304 रकबा 0.82, 304 की रकबा 2.00 किता 2 की रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि पर फसल उढद की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 1410/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय की अप्रसन्नता से प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां को अपीलांट द्वारा पेश की गई। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 07.03.2019 से अपील खारिज की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 87/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 को यथावत रखा गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो कानून के खिलाफ है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही सजायाब करने का निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर

पहुंचते है कि न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा अपीलांट रामगोपाल पुत्र मन्नालाल द्वारा ग्राम ढोटी की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 खैल मैदान सम्वत् 2072 में खसरा संख्या 1986/304 रकबा 0.82, 304 की रकबा 2.00 किता 2 की रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि पर फसल उढद की बोकर अतिक्रमण करने पर विधिवत् सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया, किंतु अपीलांट (रामगोपाल) बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा तथा अपीलांट रामगोपाल पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी ढोटी द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करते हुए 1410/– रूपये शास्ति से भी निर्णय दिनांक 18.09.2015 से दण्डित किया गया। इसके पश्चात् न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 के विरूद्ध प्रथम अपील अपीलांट द्वारा न्यायलय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 87/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 को यथावत रखते हुए अपील सारहीन होने से खारिज की गई है। इस प्रकार अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि अपीलांट को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही हरदो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम अपीलीय न्यायलय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 87/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 को यथावत रखते हुए अपील सारहीन होने से खारिज की गई है, जो प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 07.03.2019 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा